Ref. No.: GIC-HO/BOARD/SE-5-AGM/181/2026-27 Date: 1st September 2026

To,

Corporate Service Department
BSE Limited
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street, Mumbai – 400001

The Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400051

Scrip Code: (BSE – 540755; NSE – GICRE)

Sub: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copies of the Notice to Shareholders published in various Newspapers on 1st September 2026, inter-alia informing about the dispatch of the Notice of the 54th Annual General Meeting and Annual Report for the Financial Year 2025-26 to the Shareholders of the Corporation.

The above information is available on the website of the Corporation at www.gicre.in .

You are requested to take note of the above information on record.

Thanking You

Yours sincerely
For General Insurance Corporation of India

सतीश कुमार
Digitally signed by SATHEESH KUMAR S
Date: 2026.09.01 15:20:28 +05'30'

Satheesh Kumar
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: A/A

COMPANIES REPORTED ₹6,671-CRORE INFLOWS AS OF MARCH

Centre weighs easing FDI norms for defence further

MUKESH JAGOTA
New Delhi, August 31

THE GOVERNMENT IS considering easing foreign direct investment (FDI) norms in the defence sector to facilitate more projects where global giants can participate, sources said.

The Department for Promotion of Industry (DPIIT) is leading stakeholder consultations on the issue to attract more investments in the sector where up to 100% FDI is allowed in select projects.

The defence industry sector was opened up in May 2001 for private sector participation. The FDI limit in the defence sector was enhanced in 2020 up to 74% through the Automatic Route for companies seeking a new defence industrial license, and up to 100% through the approval route wherever it is likely to result in access to modern technology. While 100% FDI is permitted through the government route in sectors likely to result in access to modern technology, the term "modern technology" remains undefined.

Despite these hurdles, select global firms have secured 100% equity approvals. Sweden's Saab Group established Saab FFV India to produce Carl-Gustaf M4 weapon systems—the first fully foreign-owned defence facility in the country. France's Safran secured approvals for a wholly-owned subsidiary handling military helicopter engine components and Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) support. Similarly, MBDA Missile Systems operates wholly-owned entities for high-tech sub-assemblies alongside existing domestic JVs.

As of March 2026, ₹6,671 crore worth of FDI inflow has been reported by companies operating in the defence sector. While the government continues pushing co-development and co-production models, broader participation faces systemic policy friction.

A core issue cited by foreign investors is a structural mismatch between FDI equity caps and the Defence Acquisition Procedure (DAP). High-priority procurement categories mandate a minimum of 51% domestic ownership. Consequently, foreign original equipment manufacturers (OEMs) utilising the 74% automatic FDI route find themselves disqualified from major domestic procurement tenders.

Foreign OEMs also point to single-buyer risk—where the Indian Armed Forces serve as the sole domestic customer—alongside long procurement cycles, strict offset obligations, and reluctance to share proprietary core intellectual property without majority operational control.

The ongoing DPIIT consultations are expected to examine these ownership thresholds and procedural guidelines to align procurement policies with investment incentives.

FACILITATING PROJECTS

- DPIIT is leading stakeholder consultations on the issue to attract more investments in the sector
- FDI limit in defence sector was enhanced in 2020 up to 74% through the Automatic Route for firms seeking a new license

- A core issue cited by foreign investors is a structural mismatch between FDI equity caps and DAP
- Foreign OEMs utilising the 74% automatic FDI route find themselves disqualified from major domestic procurement tenders

Services sector growth recovers in June

SHUBHAM RANA
New Delhi, August 31

INDIA'S SERVICES SECTOR output growth recovered in June after slowing in May, according to the trial Index of Services Production (ISP) released on Monday by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI).

Twelve of the 19 sectors tracked under ISP saw higher growth in June compared to May. While the ministry did not publish overall growth rate for the ISP, the weighted average growth of the output across the 19-services sectors was 13.1% in June, up from 9.5% in May. The 19 sectors had grown 20.1% in April, according to calculations by *FE*. Eight of the 19 sectors under ISP recorded double-digit year-on-year growth in June, the say as in May. In April, 14 sectors saw double-digit growth. The services sector is a key driver of economic activity in India. According to GDP data released Monday, the services sector grew 10% in April-June, though slower than 11.5% in the previous quarter. The 19 sectors currently covered under ISP account for around 60% of the formal services sector.

"The June Index of Services Production corroborates the services strength. The ISP remains a trial series without a composite headline, so it is best read as a cross-check on direction," said Rajeev Sharan, head of research, Brickwork Ratings.

Real estate led the growth at 24.7%, followed by retail trade at 18% and wholesale trade at 15.1%.

Among the five sectors with the highest weight in ISP, four saw higher growth in June compared to May.

IT and computer-related services, which has the highest weight in ISP at 22.5%, grew 13.5% in June, higher than 10.3% in May.

ISP DATA IN NUMBERS

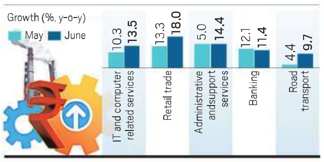

FinMin: Tracking global bond yields and inflation risks

FE BUREAU
New Delhi, August 31

INDIA IS CLOSELY tracking global sovereign bond yields, competition for international investment capital and the risk of higher global inflation, the finance ministry said in its August monthly economic report. These developments are likely to affect the domestic currency, monetary policy, interest rates and current account financing.

"The global economy entered the second half of 2026 on a resilient, though uneven, footing," the ministry said, noting that growth remained broadly steady even as the pace of global disinflation moderated and tensions in West Asia continued to influence energy markets.

Against this backdrop, domestic economic activity remained resilient through July, although the pace of expansion moderated across some high-frequency indicators, including manufacturing and services PMI and e-way bill generation.

Domestic demand remained firm, supported by healthy consumption and mobility indicators, while freight activity continued to provide support.

An intensifying El Niño, expected to peak in late 2026 and remain dominant through March 2027, warrants a cautious outlook on food inflation and agricultural output, particularly for upcoming Rabi crops, it said.

Domestically, retail inflation edged up to 4.45% in July, while core inflation remained stable.

Food inflation continued to rise, although vegetable price pressures softened.

On external risks, the ministry said it was closely tracking developments in global sovereign bond markets.

"The rise in yield can cut both ways," it said, explaining that Indian bond yields could rise in tandem with global yields. If they do not, however, "the spread compression can put pressure on the domestic currency."

It also flagged intensifying competition for global investment capital as developed economies seek funds to finance fiscal spending and refinance existing debt.

"This matters for the sustainable level of the current account deficit in developing countries with respect to the ease of financing," it said.

A potential rise in global inflation was identified as the third major risk. The ministry pointed to higher prices for electronic goods and food commodities, with the latter facing pressure from dry weather and supply-chain disruptions.

Responses by developed-country central banks to these developments could influence monetary policy and domestic interest rates.

AUGUST REPORT

- Growth remained broadly steady even as the pace of global disinflation moderated

- Domestic activity stayed resilient in July, but pace of expansion moderated across some indicators
- An intensifying El Niño, warrants a cautious outlook on food inflation and agricultural output

SJVN capacity up 1,730 MW

FE BUREAU
New Delhi, August 31

STATE-OWNED POWER producer SJVN and its associate companies added 1,730 MW of generation capacity in FY26, while annual power generation touched an all-time high of 13,302 million units, driven by additions across solar and thermal power.

The capacity expansion included the 1,000-MW Bikaner Solar Power Project, which became fully operational during the year, and the 70-MW Dhubri solar project in Assam. The company also entered large-scale thermal power generation with the commissioning of the first 660-MW unit of its 1,320-MW Buxar project.

The second 660-MW unit is at an advanced stage and is expected to be commissioned shortly, SJVN said.

The company's hydro portfolio also turned in a strong performance. The 1,500-MW Nathpa Jhakri station crossed 150 billion units of cumulative generation since commissioning, while the 412-MW Rampur project recorded its highest-ever annual generation of 2,108 million units. The 60-MW Naitwar Mori project generated 310.36 million units, around 17% above its design energy.

SJVN's consolidated revenue rose nearly 40% to ₹4,722.81 crore in FY26 from ₹3,376.50 crore a year earlier, while profit before tax (PAT) increased to ₹1,200.63 crore from ₹1,111.69 crore. Consolidated PAT stood at ₹641.85 crore.

The company has continued adding capacity in the current financial year, commissioning the 75-MW Jamui solar project in Bihar.

Its operational portfolio now stands at 4,271.5 MW. SJVN CMD Bhupender Gupta disclosed the operational and financial performance while addressing shareholders at the firm's annual general meeting on Monday.

The second 660-MW unit is at an advanced stage and is expected to be commissioned shortly, SJVN said

Taxi, rickshaw fares to increase in Mumbai region

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, August 31

PASSENGERS WILL HAVE to pay a minimum fare of ₹27 for an auto-rickshaw and ₹33 for a black-and-yellow taxi in the Mumbai Metropolitan Region from Tuesday, officials said.

The fare hike of ₹1 for auto-rickshaws and ₹2 for black-and-yellow taxis was approved by the Mumbai Metropolitan Region Transport Authority (MMRTA), they said.

The revised taxi fare will be ₹21.90 per km, up from ₹20.66, while the auto-rickshaw fare has been increased to ₹ 18.22 per km from ₹17.14, an RTO official said.

The minimum auto-rickshaw fare will increase to ₹27 from ₹26, while the taxi fare for the first 1.5 km will rise to ₹33 from ₹ 31.

The RTO official said taxi and auto-rickshaw drivers can charge the revised fares either after calibrating their electronic fare meters or by displaying the RTO-approved fare table.

The MMRTA, chaired by the Maharashtra transport secretary, approved the fare revision at its recent meeting.

The drivers have been given three months, until the end of November, to get their meters recalibrated.

The revised fares, however, will come into effect from September 1. Drivers failing to recalibrate their meters within the stipulated period will face penalties, the official said.

There are more than 4.5 lakh auto-rickshaws and over 50,000 black-and-yellow taxis in the Mumbai Metropolitan Region, most of which run on compressed natural gas (CNG).

The fare revision comes after a gap of 18 months.

The last fare hike of ₹ 3 each for taxis and auto-rickshaws in the MMR came into effect on February 1, 2025.

Mahindra to acquire 800 acres for Nagpur plant

MAHINDRA GROUP ON Monday said it is moving towards taking possession of the first package of approximately 800 acres of land for its largest integrated automobile and tractor manufacturing facility at an industrial area in Nagpur, Maharashtra.

The upcoming facility at Additional Butibori — an industrial area developed by the Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) — will be complemented by a 150-acre supplier park in Sambhajinagar.

Mahindra & Mahindra (M&M) earlier this year announced its plans to set up a greenfield facility across 1,500 acres in Vidarbha with a committed investment of ₹15,000 crore.

Once operational, the facility will have an annual production capacity of over half a million vehicles and 1 lakh tractors, making it the company's largest integrated manufacturing facility in the country.

The supplier park at Sambhajinagar will supply components to the Nagpur facility, as well as Mahindra's existing facilities at Chakan and Nashik, the company said.

Alongside the development of the facility, Mahindra is building the people capabilities and skills required for the project.

This will include processes for identifying, developing and skilling talent for manufacturing automobiles and tractors across multiple powertrains.

PTI

MAGGI, LAY'S, KURKURE, THUMBS UP & LIMCA CANS AMONG SEIZED ITEMS

FDA busts racket altering expiry dates on food products, seizes stock worth Rs 75L

Original expiry dates erased, reprinted with extended dates

Express News Service
Mumbai, August 31

THE FOOD and Drug Administration (FDA), Maharashtra, in a joint operation with the Central Crime Branch, Navi Mumbai, has busted a racket that was allegedly altering manufacturing and expiry dates on packaged food products of several well-known brands, and seized stock worth over Rs 75 lakh from a warehouse in Turbhe.

The six-day operation, conducted between August 24 and 29, targeted Sadhna Enterprises, a unit in TTC Industrial Area, Turbhe, allegedly run by partners Jayprakash Sanchetiram Singh and Jaya Navrang Bahadur Singh.

According to the FDA, the establishment was being used to store food products belonging to multiple exporter companies, where the original Date of Manufacture and Expiry/Use By dates were erased using thinner and reprinted with fresh, extended dates using an inkjet printing machine.

Items found at the premises included various variants by Lay's, Kurkure, Bingo and Fun Flips alongside Maggi's masala and atta noodles, several products from ready-to-make brands like Rasoi and Knorr soup, and Thumbs Up and Limca cans, and Hellmann's Mayonnaise.

FDA also alleged that new stickers bearing altered Ingredients and Nutritional Information were also pasted over original labels on products like Wagh Bakri Tea and MDH's Kitchen King, Kasuri Methi, and Deggi Mirch.

In all, action was taken against 13 exporter entities whose stock was stored at the facility. According to the FIR, exporters who could produce valid FSSAI licences, purchase bills and export-related paperwork had their stock cleared as genuinely meant for export. However, three parties — Unique Fragrances, Pristine Worldwide, and Vipul Doshi — failed to produce valid documentation, and samples were drawn from their stock for further verification. A consignment of Indian Dry Raisins from Pristine Worldwide was found without any label at all.

Officials said the seized stock — approximately 4,942 cartons valued at Rs 75,21,269 — has been left in the safekeeping of the accused with strict instructions that it not be moved or handed back to source establishments, citing public health concerns. Separately, unlabelled and expired stock worth around Rs 30,600 was also confiscated, officials said.

FIR registered, licence suspended

Based on a complaint filed by Food Safety Officer Prashant Shivram Pawar, an FIR was registered at Turbhe Police Station on Monday, August 31 against the two partners, Sadhna Enterprises, and 10 exporter firms — including Span Impex, Novas Export, Jamnadas Ruttonsy & Co., Bharat International, Angad Export, Joshi Brothers, Beyond Export, Anika Export, Aarnika Products, and Kasturi.

The case invokes multiple sections of the Food Safety and Standards Act, 2006 (Sections 3, 23, 24, 26, 50, 52, 53, 58, 59 and 66) along with provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, including sections dealing with cheating and forgery.

The FDA has also suspended Sadhna Enterprises' food licence with immediate effect.

"Maharashtra is strict about food quality and enforcement of the law. The health of consumers will not be compromised under any circumstances," FDA Maharashtra Commissioner Tukaram Mundhe was quoted in the press note, adding that strict legal action would continue against those found tampering with or selling expired food.

Centre approves metro lines 5 and 5A extension

Sabah Virani
Mumbai, August 31

THE LONG-DELAYED metro connectivity to Bhiwandi, Kalyan and Ulhasnagar in Thane district moved a step closer to reality on Saturday with the Centre approving the extended Mumbai Metro Line 5 and its Line 5A extension.

The approval to extend metro connectivity to Bhiwandi, Kalyan and Ulhasnagar clears the way for the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) to begin the tendering process for the remaining stretches of the corridor.

The extended metro network will eventually connect Thane with Bhiwandi, Kalyan and Ulhasnagar through a revised alignment designed to overcome land acquisition, rehabilitation and multiple infrastructure hurdles that had stalled the original plan.

The first phase of Metro Line 5, between Thane and Bhiwandi, is nearing completion and is expected to open in December 2026, according to officials.

The 11.9-km first phase, built for Rs 6,741.34 crore, runs from Balkum in Thane to Dhamankar Nagar in Bhiwandi and has six elevated stations. The corridor will also provide an interchange with Metro Line 4, which is expected to open part of its Thane stretch in the current financial year.

The original Line 5 was planned as a 24.9-km Thane-Bhiwandi-Kalyan corridor. However, extensive resettlement and rehabilitation requirements held up the second phase amid a conflict with the Bhiwandi Bypass Flyover, prompting the MMRDA to revise the alignment.

Under the new plan, a short section around Bhiwandi will be underground, while the corridor has been extended through Line 5A towards Kalyan and Ulhasnagar.

The second phase of Line 5 will run 10.48 km from Bhiwandi to Durgadi in Kalyan and is estimated to cost Rs 7,326 crore.

Line 5A will then extend the network by another 11.83 km, at an estimated cost of Rs 4,063 crore, with the main route toward Kalyan. There, it will provide an interchange with Metro Line 12 towards Navi Mumbai, and a spur towards Ulhasnagar.

• ON TRACK

LINE 5+5A
From Kapurbawdi, Thane to Bhiwandi to Kalyan and Ulhasnagar
Length: 34.205 km
Stations: 19
Cost: 18,130.55 cr
Timeline: 2031

PHASE 1	PHASE 2	PHASE 3: LINE 5A
From Kapurbawdi, Thane to Dhamankar Naka, Bhiwandi	From Dhamankar Naka, Naka to Durgadi, Kalyan	From Durgadi to Kalyan and Ulhasnagar
Length: 11.9 km	**Length:** 10.48 km	**Length:** 11.83 km (Main: 6.56 km + Spur: 5.27 km)
Stations: 6, all elevated. Balkum, Kasheli, Kalher, Purna, Anjur Phata, Dhamankar Naka	**Stations:** 6, of which one is underground. Bhiwandi (underground), Temghar, Rajnauli, Gove Gaon, Kongaon East, Kongaon West	**Stations:** 7. Durgadi, Khadakpada, Bhoirwadi, Shivaji Path, Shanti Nagar, Shivaji Chowk, Ulhasnagar
Cost: Rs 6,741.34 crore	**Cost:** Rs 7,326 crore	**Cost:** Rs 4,063 crore
Expected opening: December 2026	**Timeline:** 2031	**Timeline:** 2030

8-YEAR-OLD RUN OVER IN BANDRA

'Lost everything... I dreamed of a better life for him,' says father, a roadside food vendor

Ansh had gone out to play and was crossing the road near Jijamata Garden when the accident took place

Manish Kumar Pathak
Mumbai, August 31

"I HAVE lost everything. He wanted to become a police officer. No matter how much hardship we faced, I did everything possible to provide him with a good education," said Ravindra Gupta, 47, father of eight-year-old Ansh, who died after he was hit by an Innova Crysta while crossing the road in Bandra West on Sunday. The accused driver, Megha Rawal, 45, a Bandra West resident, who is a fitness coach and nutritionist, has been arrested.


Eight-year-old Ansh Gupta died in Bandra Saturday. EXPRESS


Megha Rawal was held on culpable homicide charges. FILE

The deceased was a Class III student at Carmel School and the only son of his parents. The family lives in the Kadeshwar area of Bandra (West). His father is a roadside food vendor in Bandra. Ansh had gone out to play and was crossing the road near Jijamata Garden when the incident took place around 2:15 pm on Sunday.

Gupta said he and his wife were childless for nearly 10 years. "We were blessed with a baby boy eight years ago," he said. "Educating Ansh was our top priority. Whatever I earned, I tried to spend as much as possible on his education. I wanted him to have a better life than us. He was our only son. With his death, we have lost not just our son but the future we had dreamed of," Gupta said. "I want the woman responsible for my son's death to get the strictest punishment under the law. No parent should have to suffer the pain we are going through," he added. Megha was arrested on charges of culpable homicide as she was allegedly talking on her mobile phone while driving. She was produced before a court on Monday and remanded in police custody. The family had been preparing to celebrate Ansh's eighth birthday on September 1. "His mother is still inconsolable. She has not eaten anything since she heard about her son's death," a relative said.

Bystanders had reportedly stopped vehicles and rushed the injured boy to Holy Family Hospital in the same vehicle. Doctors declared Ansh dead during treatment.

Raosaheb Patwardhan Park set for Rs 5.10-cr makeover

Nayonika Bose
Mumbai, August 31

MUMBAI'S ICONIC Raosaheb Patwardhan Park in Bandra is poised for a makeover with the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) eyeing to revamp the open space at a cost of Rs 5.10 crore.

The BMC administration on Monday put forth a proposal before the civic standing committee to upgrade the landscape, which is slated to be discussed on Wednesday.

According to senior officials from the BMC, the overhaul will entail installation of children's play equipment, open exercise equipment, dustbins, benches while also laying a new cobbled footpath and entrance gate. While constructing new amenities, the project also seeks to repair existing ones ranging from the yoga shed, mud path, stairs, toilets, grills, footpaths as well as protective walls where damage has been reported. Additionally, the BMC is also set to undertake electrification and illumination works.

Located near Linking Road, the Raosaheb Patwardhan Park is amongst the oldest open spaces in Bandra which sprawls over 15,000 square metres and houses several indigenous trees.

Teen takes out father's scooter, dies in accident

Mumbai: A 14-year-old boy was killed and his teenage friend injured in the wee hours of Sunday when a speeding tempo rammed their Honda Activa scooter from behind under the Jagruti Nagar Metro station on the Ghatkopar-Andheri Link Road. The police have registered an FIR against the tempo driver and are trying to locate him.

According to the police, the incident took place between 5:15 and 5:30 am on the lane heading toward Ghatkopar railway station. Ganesh Mahamuni, a Class 9 student, took his father's scooter without permission for an early morning ride with his neighbour, Aryan Paswan.

As the duo rode down the stretch under the metro line, a commercial Eicher tempo approaching from behind struck the rear of the scooter. The impact demolished the back end of the vehicle and threw both boys onto the road.

Aryan was taken to the hospital by his father, where he was told that his son had succumbed to his severe injuries. ENS

तणावावरील उपचारांचा अचूक अंदाज शक्य

आरोग्य वार्ता

नवी दिल्ली : डिप्रेशनवर (उदासीनता) सुरू केलेल्या औषधांचा रुग्णावर सकारात्मक परिणाम होत आहे की नाही, हे आता अवघ्या ७ ते १० दिवसांत स्पष्ट होऊ शकते. मेंदू आणि पोटातील विद्युत संकेत तसेच रुग्णाच्या वैद्यकीय लक्षणांचे एकत्र विश्लेषण करून उपचारांच्या परिणामांचा अचूक अंदाज बांधता येतो, असा शोध 'आयआयटी कानपूर' आणि 'गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज'च्या संशोधकांनी लावला आहे. हे संशोधन 'फ्रंटियर्स इन सायकियाट्री' या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले आहे.

सध्या डिप्रेशनच्या औषधांचा प्रभाव तपासण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीनुसार ४ ते ६ आठवड्यांचा कालावधी लागतो. मात्र, या नव्या पद्धतीमुळे उपचारांच्या पहिल्याच आठवड्यात रुग्णाचा प्रतिसाद ओळखणे शक्य होणार आहे. डिप्रेशनने त्रस्त असलेल्या जवळपास ३० टक्के रुग्णांवर नियमित औषधोपचारांचा हवा तसा परिणाम होत नाही. अशा परिस्थितीत, औषधांना प्रतिसाद न देणाऱ्या रुग्णांची सुरुवातीलाच ओळख पटल्यास डॉक्टरांना रुग्णासाठी अधिक प्रभावी आणि वैयक्तिक उपचार पद्धती आखणे सोपे जाईल, असे आयआयटी कानपूरच्या साहाय्यक प्राध्यापक प्रगती प्रियदर्शिनी बालसुब्रमण्यम यांनी सांगितले. या अभ्यासात १४४ नवीन रुग्णांसह एकूण २०६ सहभाग्यांचा समावेश करण्यात आला होता.

चेंबूरमध्ये टँकरमधून रसायनाची गळती

लोकसत्ता खास प्रतिनिधी

मुंबई : चेंबूर पूर्वेकडील माहूल मार्गावर मोनोरेल स्थानकाजवळ म्हैसूर कॉलनी परिसरात रसायन वाहून नेणाऱ्या टँकरमधून बेंझिन रसायनाची गळती झाल्याची घटना सोमवारी रात्री घडली. या टँकरमध्ये सुमारे २८ टन बेंझिन होते.

रात्री ८.१२ वाजता या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्याला सुरुवात केली. खबरदारीचा उपाय म्हणून घटनास्थळाभोवती सुमारे ५०० मीटरचा परिसर बंद करण्यात आला. गळती झालेल्या टँकरमधील बेंझिन रसायनाचा साठा दुसऱ्या टँकरमध्ये हलविण्यात आला. त्यानंतर दोन्ही टँकर भारत पेट्रोलियम कंपनीच्या रिफायनरी परिसरात नेण्यात आले. हे टँकर सुरक्षितपणे हलविण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ५०० मीटरचा परिसर बंदिस्त ठेवण्यात आला होता. या घटनेत कोणालाही दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही. दरम्यान, या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

रिक्षा, टॅक्सीची आजपासून भाडेवाढ

मुंबईकरांचा प्रवास एक ते दोन रुपयांनी महाग

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, साखर व इतर विविध अत्यावश्यक आणि जीवनावश्यक वस्तूचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने, सर्वसामान्य नागरिक महागाईने दबला आहे. तर, आता पुन्हा रिक्षा, टॅक्सीची भाडेवाढ झाल्याचा फटका प्रवाशांना बसणार आहे. १ सप्टेंबर रोजीपासून रिक्षाचे एक रुपयाने आणि टॅक्सीची दोन रुपयांनी भाडेवाढ होणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरणाने (एमएमआरटीए) इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि वाढलेल्या परिचालन खर्चाचा विचार करून बेस भाड्यात वाढ मंजूर केली आहे. नवीन दरानुसार ऑटो-रिक्षाचे किमान भाडे २६ रुपयांवरून २७ रुपये, तर काळी-पिवळी टॅक्सीचे किमान भाडे ३१ रुपयांवरून ३३ रुपये होणार आहे. हे दोन्ही दर पहिल्या १.५ किलोमीटर अंतरासाठी लागू असतील. प्रवाशांकडून ॲप आधारित वाहने आरक्षित होत असल्याने, टॅक्सी व्यवसाय धोक्यात आला आहे.

सध्या रिक्षा-टॅक्सीच्या देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढला आहे. तसेच इंधन खर्च, वाहन कर्जावरील वाढलेले व्याजदर लक्षात घेऊन आणि खटुआ समितीच्या शिफारशींचा दाखला देत टॅक्सी आणि ऑटोरिक्षा संघटनांनी भाडेवाढीची मागणी केली होती.

अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) अधिसूचना जारी झाल्यानंतर १ सप्टेंबर रोजीपासून नवीन भाडेदर लागू होणार आहे.

खटुआ समितीच्या शिफारशींनुसार निर्णय

ही भाडेवाढ २०१७ च्या बी. सी. खटुआ समितीच्या शिफारशींनुसार करण्यात आली आहे. इंधनाचे दर, वाहनांचा खर्च, कर्जावरील व्याजदर, ग्राहक किंमत निर्देशांक आणि सरकारी कर या निकषांच्या आधारे भाडेदर निश्चित करण्याची या समितीने ही शिफारस केली आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ऑटो आणि टॅक्सीच्या किमान भाड्यात अनुक्रमे ३ आणि ३ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्याआधी ऑक्टोबर २०२२ आणि मार्च २०२१ मध्येही भाडेवाढ लागू झाली होती.

चालकांची धावपळ

नव्या दरानुसार भाडे आकारणीसाठी मीटरचे 'रिकॅलिब्रेशन' करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मुंबई शहरातील टॅक्सी आणि उपनगरांतील रिक्षा, टॅक्सीचे रिकॅलिब्रेशन करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांची सध्या धावपळ सुरू आहे.

संघटनांची मागणी मान्य

ऑटो-टॅक्सी संघटना अनेक महिन्यांपासून भाडेवाढीची मागणी करत होत्या. मे महिन्यात महानगर गॅस लिमिटेडने (एमजीएल) सीएनजीचा दर ८६ रुपये प्रति किलो केल्यानंतर मुंबई रिक्षामेन्स युनियनने प्रति किलोमीटर १.१२ रुपयांची वाढ मागितली होती.

नेव्हिल डिसूझा फुटबॉल मैदानाच्या आरक्षणात बदल नाही

मुंबई महानगरपालिकेचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात दावा

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : वांद्रे रिक्लेमेशन येथील नेव्हिल डिसूझा फुटबॉल मैदानाचे आरक्षण अद्याप रद्द केलेले नाही. तसेच त्याचे संमेलन किंवा प्रदर्शन केंद्रात रूपांतर करण्यासही मंजुरी दिलेली नाही. हा प्रस्ताव अजूनही प्राथमिक टप्प्यात असून, सक्षम प्राधिकरणाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला वैधानिक प्रक्रियेतून जावे लागेल, अशी माहिती महानगरपालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.

महापालिकेने १९ ऑगस्ट रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, प्रस्तावित बदलाला आव्हान देणारी मुंबई फुटबॉल असोसिएशन (एमएफए) ची याचिका चुकीच्या समजावर आधारित आणि अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वीच करण्यात आल्याचा दावा केला. मैदानाचे आरक्षण हे मंजूर 'विकास आराखडा २०३४'चा भाग आहे. त्यामुळे, केवळ एखाद्या प्रशासकीय विनंतीच्या किंवा निवेदनांच्या आधारे त्यात बदल किंवा ते रद्द करता येणार नाही. अशा बदलासाठी एमआरटीपी कायद्यांतर्गत विहित केलेली कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे अनिवार्य आहे. या तरतुदींनुसार, राज्य सरकारकडून अशा बदलाला मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत याचिका दाखल करण्यासाठी किंवा चालवण्यासाठी कोणतेही कायदेशीर कारण उद्भवत नाही, असा दावाही महापालिकेने केला.

म्हाडाच्या मालकीचा भूखंड

म्हाडाच्या मालकीचा हा ८,४५० चौरस मीटरचा भूखंड १९८३ मध्ये संमेलन आणि व्यापार मेळावा केंद्रासाठी आरक्षित होता. १५ वर्षांपूर्वी, हा भूखंड 'मुंबई फुटबॉल असोसिएशन'ला तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेपट्ट्यावर देण्यात आला. त्यानंतर, महापालिकेने आराखड्यात त्याचे 'मनोरंजन मैदान' म्हणून वर्गीकरण केले. तथापि, मूळ आरक्षण पूर्ववत करण्याची विनंती करणाऱ्या नोव्हेंबर २०२५ मधील म्हाडाच्या पत्राच्या आधारे या वर्षी मे महिन्यात, सुधार समितीने आरक्षण बदलण्याची शिफारस केली. 'एमएफए'ने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हा पुढील सुनावणीपर्यंत कार्यवाहीस प्रशासनाला मज्जाव करण्यात आला.

सार्वजनिक सूचना

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोर्ट-V, नई दिल्ली के समक्ष। केस नंबर - IB/625/ND/2021, जिसका शीर्षक 'धवल कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम M/s बिगरा जार्डिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य' है (IBC, 2016 की धारा 9 के तहत)। 17.07.2026 के आदेश के अनुसार, निम्नलिखित को सूचना दी जाती है: प्रतिवादी नंबर 1 – M/s बिगरा जार्डिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 71, चित्रा गुप्ता रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110025 में है; और प्रतिवादी नंबर 5 – फ्लैट बायर वेलफेयर एसोसिएशन, जेमिनी यूथ डुप्लेक्स, रजिस्टर्ड सेक्टर 80, फरीदाबाद (ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, कैलिफोर्निया कंट्री, सेक्टर-80, फरीदाबाद, हरियाणा-121004 का हिस्सा) माननीय NCLT, नई दिल्ली, कोर्ट-V के समक्ष लंबित उपरोक्त कार्यवाही का संज्ञान लें। मामले की सुनवाई 01.09.2026 को होनी है। प्रतिवादियों को माननीय ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने और कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

धवल कंस्ट्रक्शन कंपनी

जेल ज्वेलर्स लिमिटेड

CIN L74899DL1994PLC058832
पंजीकृत कार्यालयः ई–5, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट ।।, नई दिल्ली–110049 फोनः (91)–11–26252416,
ई–मेलः zeljewellers@yahoo.co.in
वेबः http://www.rkjewellers.in

सूचना

एतद्‌वारा सूचित किया जाता है कि जेल ज्वेलर्स लिमिटेड की 32वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 23 सितंबर, 2026 को दोपहर 02:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ई–5, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट–।।, नई दिल्ली–110049 में आयोजित की जाएगी, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में 29 अगस्त, 2026 दिनांकित एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा।

वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस शेयरधारकों को उनके आरटीए /कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत ईमेल पते पर भेज दिया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट **www.rkjewellers.in** पर भी उपलब्ध है।

श्री परवीन कुमार रस्तोगी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बैलेट मतदान प्रक्रिया की निगरानीध्संचालन के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी की एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 17 सितंबर, 2026 से 23 सितंबर, 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेशानुसार जेल ज्वेलर्स लिमिटेड के लिए
स्थान नई दिल्ली — **हस्ताक्षर/– शिल्पी चोपड़ा**
दिनांक 31.08.2026 — **(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)**

कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड

KAMDHENU PAINTS

[सीआईएन : L51909HR2019PLC089207]
पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मंजिल, टावर-ए, भवन संख्या 9, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-III, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, दूरभाष : 0124-4604500,
ई-मेल : cs@kamdhenupaints.com, वेबसाइट : www.kamdhenupaints.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 7वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग अनुदेश

एतद्‌वारा सूचना दी जाती है कि कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 7वीं वार्षिक सामान्य बैठक (''एजीएम'') शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को अपराह्न 3:30 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के लागू प्रावधानों के अनुपालन में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी लागू परिपत्रों (परिपत्रों) के साथ पठित होकर आयोजित की जा रही है, ताकि एजीएम की सूचना में दिए गए कार्यों का निष्पादन किया जा सके। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के इच्छुक सदस्य एजीएम सूचना में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति (कोरम) के उद्देश्य हेतु गिना जाएगा। आयोजित एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में की गई मानी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, परिपत्रों के अनुपालन में, 7वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को 31 अगस्त, 2026 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के उन सदस्यों को भेजा गया है, जिनके ई–मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के अभिलेखों में पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट तथा 7वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.kamdhenupaints.com पर अपलोड कर दी गई है, तथा यह स्टॉक एक्सचेंज, अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए अनुदेश :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, जिसे कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवालीय मानक – 2 तथा यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित रूप में, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (''ई–वोटिंग'') से 7वीं एजीएम में प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य नीचे बताई गई तिथियों के दौरान नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके दूरस्थ रूप से अपना वोट डाल सकते हैं (''रिमोट ई–वोटिंग'')।

क) रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी :

रिमोट ई–वोटिंग का प्रारंभ : मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 को प्रातः 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) से
रिमोट ई–वोटिंग का समापन : गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) तक

उपर्युक्त तिथि तथा समय के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उपर्युक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

ख) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम (''इन्स्टा पोल'') में भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित होने वाले वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम में इन्स्टा पोल के माध्यम से मतदान करने के योग्य होंगे।

ग) कंपनी ने ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं।

घ) ई–वोटिंग से संबंधित यूजर आईडी तथा पासवर्ड के विवरण सहित सूचनाएं तथा अनुदेश सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से भेजे गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी उन्हीं लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना चाहिए।

ङ) रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ इन्स्टा पोल के माध्यम से एजीएम में मतदान करने हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 (''कट–ऑफ तिथि'') है। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि को शेयर धारित करता है, वह एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है तथा सदस्यगण cs@kamdhenupaints.com पर कंपनी को अनुरोध भी भेज सकते हैं।

च) डिमटेरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर धारित करने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके द्वारा रिमोट ई–वोटिंग तथा इन्स्टा पोल के माध्यम से एजीएम में मतदान करने का तरीका 7वीं एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में पुनः अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या दूरभाष सं.: 022–48867000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर एक अनुरोध भेज सकते हैं। सदस्यगण सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, 4वीं मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई–400013, दूरभाष : 022–48867000 से संपर्क कर सकते हैं।

मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, अभ्यासरत कंपनी सचिवों के भागीदार श्री रूपेश अग्रवाल, प्रबंध भागीदार, (ए16302) या उनके न रहने पर श्री शशिकांत तिवारी, (एफ11919), या उनके न रहने पर श्री लखन गुप्ता, भागीदार को एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग एवं ई–वोटिंग की प्रक्रिया की जांच करने के लिए सूक्ष्म परीक्षक (स्क्रूटनाइजर) के रूप में नियुक्त किया गया है। स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट के साथ ई–वोटिंग के परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.kamdhenupaints.com पर अपलोड किए जाएंगे तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड को प्रेषित किए जाएंगे, जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

कृते कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड
हस्ता./–
अंकित
तिथि : 31–08–2026 — **कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी**
स्थान : गुरुग्राम — **एसीएस : 51774**

ब्रैंडमैन रिटेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः डीपीटी 718–719 , 7वीं मंजिल डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला फेज–1, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली–110020, भारत
CIN: L52399DL2021PLC383350 । दूरभाष संख्याः +.01146052323
ईमेल आईडीः compliance@brandmanretail.com । वेबसाइटः brandmanretail.com

5वीं वार्षिक आम बैठक और ई–वोटिंग संबंधी सूचना

एतद्‌वारा सूचित किया जाता है कि ब्रैंडमैन रिटेल लिमिटेड की 5वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के जरिए आयोजित की जाएगी, जिसमें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का निर्धारित स्थान डीपीटी 718–719 , डीएलएफ 7वीं मंजिल प्राइम टॉवर, ओखला फेज–1, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली – 110020, भारत होगा, ताकि एजीएम की सूचना (ष्सूचनाष) में निर्धारित ऐसे कार्यों का निष्पादन किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 31–08–2026 तक पूरा कर लिया गया था।

परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2025–26 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेज दी गई हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **brandmanretail.com**, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) की वेबसाइट **bigshareonline.com** और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल')) की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध हैं। ईमेल के माध्यम से एजीएम की सूचना भेजने की प्रक्रिया 31 अगस्त, 2026 को पूरी कर ली गई है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए वेब लिंक और क्यूआर कोड प्रदान करने वाला एक पत्र 29 अगस्त, 2026 को उन शेयरधारकों को भेजा गया है, जिन्होंने कंपनी/डीपी के साथ अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किए हैं।

कट–ऑफ तिथि, अर्थात् 15 सितंबर, 2026 तक डीमैटरीकृत रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('रिमोट ई–वोटिंग') के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यसूची पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि:

i. एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का लेन–देन रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
ii. रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि 15 सितंबर, 2026 होगी।
iii. रिमोट ई–वोटिंग शनिवार, 19 सितंबर, 2026, (सुबह 9:00 बजे ैप्ज) से शुरू होगी।
iv. रिमोट ई–वोटिंग सोमवार, 21 सितंबर, 2026 (शाम 5:00 बजे ैप्ज) को समाप्त होगी।
v. 21 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे ैप्ज के बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
vi. कोई भी व्यक्तिगत और कोई भी गैर–व्यक्तिगत शेयरधारक, जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का शेयरधारक बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात 15 सितंबर, 2026 को शेयर रखता है, **https://www.evoting.nsdl.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह अपना मौजूदा न्मत प्क और पासवर्ड का उपयोग करके वोट डाल सकता है।

शेयरधारक ध्यान दें किः

एं) एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, शेयरधारक को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगीः
इ) मतदान की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी, और ।ळड में उपस्थित वे शेयरधारक, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, एजीएम के दौरान बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगेः
ब) वे शेयरधारक जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वे दोबारा अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगेः और
क) केवल वे व्यक्ति जिनका नाम कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयरधारकों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगेय

डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए दूरस्थ रूप से मतदान करने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

निर्धारित अवधि के भीतर स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किए जाएंगे।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य सुश्री संचिता रामेका, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैंः एवं ईमेल आईडीः **compliance@brandmanretail.com**, मोः +91 9599244949 हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दी गई सभी टिप्पणियों और विशेष रूप से एजीएम में भाग लेने के निर्देशों तथा रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि शेयरधारकों/निवेशकों के पास ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो आप **www.evoting.Nsdl.com** के भ्मसच अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (थ्।फे)देख सकते हैं।, या आप **evoting@nsdl.com** पर ईमेल कर सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

ब्रैंडमैन रिटेल लिमिटेड की ओर से
हस्ताक्षर/–
संचिता रामेका
स्थानः नई दिल्ली — **कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी**
दिनांकः 01/09/2026 — **सदस्यता संख्याः ए47633**

NSDL

Technology, Trust & Reach

NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY LIMITED

CIN: L74120MH2012PLC230380
Reg. Office: 301, 3rd Floor, Naman Chambers, G Block, Plot No- C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai- 400051
Tel: 022 6944 8400/8500 | **Email:** cs-depository@nsdl.com | **Website:** https://nsdl.com

NOTICE OF THE 14TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of National Securities Depository Limited ("the Company") will be held on **Tuesday, September 22, 2026 at 11:30 A.M. IST** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice convening the 14th AGM of the Company, which is in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules issued thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with the General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 along with other relevant General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter referred to as "MCA Circulars") and the Circular no. SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-1/P/CIR/2025/83 dated June 05, 2025 issued by SEBI (hereinafter referred to as "SEBI Circular").

Further, in accordance with the applicable provisions of the Act and above-mentioned Circulars, the Notice convening the 14th AGM and the Annual Report for the FY 2025-26 has been electronically sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Registrar & Transfer Agent ("RTA") and / or Depository Participant(s) ("DPs"). Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the Listing Regulations, the Company has also dispatched a letter to Members whose e-mail IDs are not registered with the Company/ RTA/ DPs, providing a web-link of company's website to access the Annual Report for the FY 2025-26.

The Notice of the AGM along with Annual Report for the FY 2025-26 will also be available on the website of the Company at https://nsdl.com and website of the Stock Exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com

E-voting Information

1. Pursuant to provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide the facility of remote e-Voting to the shareholders, to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM. The Company has availed in-house service for facilitating voting through electronic means on all resolutions set forth in this Notice and for participating in the 14th AGM through VC / OAVM facility along with e-Voting during the AGM. The detailed instructions for remote e-voting are given in the Notice of 14th AGM of the Company.
2. The remote e-Voting period commences on **Friday, September 18, 2026 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Monday, September 21, 2026 at 5:00 P.M. (IST)**. Voting through remote e-Voting will not be permitted beyond 5.00 p.m. IST on Monday, September 21, 2026. The Book Closure Period of the Company will be from Saturday, September 12, 2026, to Monday, September 21, 2026 (both days inclusive).
3. A person whose name is recorded in the register of members or in register of beneficial owners maintained by Depositories as on **Tuesday, September 15, 2026 ("cut-off date")** shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting at the AGM. The facility of e-voting shall also be made available at 14th AGM, to those members attending the AGM and who have not already casted vote through remote e-voting shall be able to exercise their voting rights during the AGM.
4. Members who have acquired shares after the dispatch of Annual Report for the FY 2025-26 and before the cut-off date are requested to refer to the Notice of AGM for the process to be adopted for obtaining the User ID and Password for casting the vote.
5. Members who have casted their vote through remote e-Voting can participate in the 14th AGM but shall not be entitled to vote again.
6. The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Mihen Halani, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting voting process of the AGM in a fair and transparent manner. The results shall be declared within 2 working days from conclusion of the Meeting which is within the time stipulated under the applicable laws. The results declared along with the Scrutiniser's Report will be placed on the website of the Company and Stock Exchange.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on no.: 022-48867000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Deputy Vice President, NSDL at evoting@nsdl.com

Shareholders who have not updated their email or KYC details are requested to register / update the details in their demat account, as per the process advised by their DP.

The Board of Directors of the Company at its meeting held on April 30, 2026, recommended a dividend of Rs. 4/- (Rupees Four only) per equity share of face value of Rs. 2/- each (i.e. 200%) subject to the approval of shareholders at the 14th AGM. The record date for identifying the shareholders entitled for dividend for FY 2025-26 is **Friday, September 11, 2026**. The dividend, if approved by Shareholders, is proposed to be paid within 30 days from the date of AGM. Payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rates. For more details, please refer to the Notice of AGM.

For National Securities Depository Limited
Sd/-
Alen Ferns
Date: August 31, 2026 — **Company Secretary**
Place: Mumbai — **Membership No. A30633**

कामधेनु लिमिटेड

KAMDHENU GROUP

सीआईएनः L27101HR1994PLC092205
पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय तल, टावर ए, बिल्डिंग संख्या 9, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-III, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 फोनः 91-124-4604500 ईमेलः cs@kamdhenulimited.com, वेबसाइटः www.kamdhenulimited.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 32वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग निर्देश

एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी लागू परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के लागू प्रावधानों (जिन्हें सामूहिक रूप से 'प्रासंगिक परिपत्र' कहा जाता है) के साथ अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के संचालन हेतु कामधेनु लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को अपराह्न 12:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के इच्छुक सदस्य एजीएम सूचना में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा। आयोजित एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में की गई मानी जाएगी।

इसके अलावा, प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट 31 अगस्त, 2026 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी के उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट/कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट और 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.kamdhenulimited.com** पर अपलोड कर दी गई है और यह स्टॉक एक्सचेंजों, यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देशः

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक - 2 और यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को 32वीं वार्षिक आम बैठक में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('ई-वोटिंग') द्वारा मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य नीचे उल्लिखित तिथियों पर केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके, रिमोटली अपना वोट ('रिमोट ई-वोटिंग') डाल सकते हैं।

(क) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगीः

रिमोट ई-वोटिंग का प्रारंभ : मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.)
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति : गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.)

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उक्त अवधि समाप्त होने पर केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

(ख) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('इंस्टा पोल') के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित होने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे इंस्टा पोल के माध्यम से एजीएम में मतदान कर सकेंगे।

(ग) कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएँ ली हैं।

(घ) ई-वोटिंग से संबंधित जानकारी और निर्देश, जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड का विवरण शामिल है, सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए समान लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना चाहिए।

(ङ) रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ इंस्टा पोल के माध्यम से एजीएम में मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 ('कट-ऑफ तिथि') है। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है और सदस्य कंपनी को **cs@kamdhenulimited.com** पर अनुरोध भी भेज सकते हैं।

(च) डीमैटेरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर धारण करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टा पोल के माध्यम से एजीएम में मतदान का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में दोबारा अपना वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य श्री सुरेश बाबू डी, वरिष्ठ प्रबंधक-कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से **suresh.d@kfintech, einward.ris@kfintech.com** पर या दूरभाष नं. +91- 40-67161517` मोबाइल नं. : 6301348153 पर संपर्क कर सकते हैं तथा एक प्रति कम्पनी को **cs@kamdhenulimited.com** पर भेजें।

मेसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के प्रबंध भागीदार, श्री रूपेश अग्रवाल (ए16302) या उनकी अनुपस्थिति में श्री शशिकांत तिवारी (एफ11919), या उनकी अनुपस्थिति में श्री लखन गुप्ता, भागीदार, को रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग की प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जाँच करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है। ई-वोटिंग के परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट **www.kamdhenulimited.com** पर अपलोड किए जाएँगे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड, जहाँ कंपनी की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं, को सूचित किए जाएँगे।

आगे सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 और 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए लाभांश हेतु रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 है। रिकॉर्ड तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज सदस्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभांश के हकदार होंगे।

सदस्य ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2026 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 2025 ('अधिनियम') में बदलाव के अनुसार, लाभांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य होगी और कंपनी को सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश पर निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने की आवश्यकता होगी। कर कटौती/विदहोल्डिंग कर की दर सदस्यों की आवासीय स्थिति और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग होगी। टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी आवासीय स्थिति, पैन और श्रेणी को पूरा करें और/या अपडेट करें या, यदि शेयर भौतिक रूप में रखे जाते हैं, तो कंपनी के आरटीए के साथ, ई-मेल के माध्यम से दस्तावेज **einward.ris@kfintech.com** पर कंपनी को **cs@kamdhenulimited.com** पर एक प्रति के साथ गुरुवार, 10 सितंबर, 2026 तक भेजें।

कामधेनु लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
खेम चंद
दिनांकः 31.08.2026 — **कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी**
स्थानः गुरुग्राम — **एफसीएसः10065**

भारतीय साधारण बीमा निगम

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

GIC Re

पंजीकृत कार्यालयः ''सुरक्षा'', 170 जे. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई–400020
टेलीफोनः +91-22-2286 7000 फैक्सः +91-22-2288 4010
वेबसाइटः www.gicre.in ई-मेलः investors.gic@gicre.in
सीआईएनः L67200MH1972GOI016133 आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या : 112

शेयरधारकों को 54 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

वार्षिक आम बैठकः

एतद्‌वारा यह सूचित किया जाता है कि **भारतीय साधारण बीमा निगम की 54वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 22 सितम्बर 2026 को प्रातः 11:00 बजे (भारतीय मानक समय)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013, निगमीय कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों तथा सेबी विनियमों (सामूहिक रूप से "वैधानिक प्रावधान") के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, जिसमें बैठक की सूचना में वर्णित कार्यों पर विचार किया जाएगा। एजीएम की कार्यवाही निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित मानी जाएगी।

एजीएम एवं वार्षिक रिपोर्ट की सूचनाः

वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना **सोमवार, 31 अगस्त 2026** को उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेज दी गई है, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागी /रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों के ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट के वेबलिंक सहित पत्र भेजा जा रहा है। उक्त दस्तावेज निगम की वेबसाइट www.gicre.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com तथा ई-वोटिंग एजेंसी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वोटिंगः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, निगम ने दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएँ निम्नानुसार ली हैं:

विवरण	एजीएम से पूर्व	एजीएम के दौरान
दूरस्थ ई-वोटिंग प्रारंभ	**गुरुवार, 17 सितम्बर 2026 [प्रातः 9:00 बजे से (भारतीय मानक समय)]**	**मंगलवार 22 सितम्बर 2026**
दूरस्थ ई-वोटिंग समाप्त	**सोमवार, 21 सितम्बर 2026 [सायं 5:00 बजे तक (भारतीय मानक समय)]**	**मंगलवार, 22 सितम्बर 2026 (एजीएम समाप्ति के15 मिनट बाद तक)**
कट-ऑफ तिथि (वोट देने की पात्रता के लिए)	**मंगलवार, 15 सितम्बर 2026**	
वेबलिंक	https://www.evoting.nsdl.com	
ई-वोटिंग इवेंट नंबर	ईवीईएन (EVEN-141966)	

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में उल्लिखित ई-वोटिंग प्रक्रिया का अवलोकन करें।

टिप्पणियाँ:

1. केवल वे व्यक्ति जिनका नाम **मंगलवार, 15 सितम्बर 2026** की कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर / लाभकारी स्वामियों के अभिलेख में दर्ज है, दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम में मतदान की सुविधा का लाभ लेने के पात्र होंगे।
2. सदस्यों के मतदान अधिकार निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में **15 सितम्बर 2026** को उनके द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में होंगे।
3. जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है अथवा जो एजीएम सूचना प्रेषित होने के बाद किंतु ई-वोटिंग कट-ऑफ तिथि **15 सितम्बर 2026** से पूर्व सदस्य बने हैं, वे अपना फोलियो नंबर/डीपी-आईडी एवं क्लाइंट आईडी उल्लेख करते हुए investors.gic@gicre.in पर ई-मेल भेजकर एजीएम सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एजीएम सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करें।
4. जो सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर चुके हैं, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, किंतु पुनः मतदान नहीं कर सकेंगे।
5. जो सदस्य वीसी/ ओएवीएम की सुविधा से एजीएम में उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने पूर्व में दूरस्थ ई-वोटिंग नहीं की है तथा मतदान से अन्यथा वंचित नहीं हैं, वे एजीएम के दौरान मतदान कर सकेंगे।
6. जो सदस्य वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनने वाले वैधानिक रजिस्टर/दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहते हैं, वे एजीएम की तिथि तक cs.gic@gicre.inपर अपना डीपी-आईडी एवं क्लाइंट आईडी अथवा फोलियो नंबर भेज सकते हैं।
7. जो सदस्य एजीएम के दौरान प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीपी-आईडी एवं क्लाइंट आईडी फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर सहित gicagm.speakers@gicre.in पर **मंगलवार, 15 सितम्बर 2026 (प्रातः 9:00 बजे भारतीय मानक समय) से गुरुवार, 17 सितम्बर 2026 (सायं 5:00 बजे भारतीय मानक समय)** के बीच वक्ता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। केवल पूर्व-पंजीकृत वक्ताओं को ही एजीएम में अपने विचार व्यक्त करने अथवा प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। एजीएम के लिए उपलब्ध समय के अनुसार निगम वक्ताओं की संख्या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. किसी भी प्रश्न के लिए सदस्य एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं। सदस्य टोल-फ्री नंबर 1800-222-990 अथवा 1800-22-44-30 पर संपर्क कर सकते हैं या एनएसडीएस के निर्दिष्ट पते evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।
9. निगम के निदेशक मंडल ने रु. 13.25 प्रति शेयर लाभांश की अनुशंसा की है। एजीएम में अनुमोदन प्राप्त होने पर लाभांश का भुगतान कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एजीएम की स्वीकृति की तिथि से 30 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों को किया जाएगा। सदस्य ध्यान दें कि वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित किया गया लाभांश सदस्यों के लिए कर योग्य होगा। निगम सदस्यों को लाभांश भुगतान के समय स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने के लिए बाध्य है। लागू टीडीएस दर निर्धारित करने हेतु सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लाभांश हेतु आवश्यक दस्तावेज सोमवार, 7 सितम्बर 2026 तक जमा करें। लाभांश पर टीडीएस के बारे में विस्तृत जानकारी इस लिंक पर दी गई है: https://www.gicre.in/en/investors-public-disclosures/investors-en/notice-communication-to-shareholders
10. निगम ने शुक्रवार, 4 सितम्बर 2026 को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है ताकि 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभांश पात्रता निर्धारित की जा सके। समय पर लाभांश प्राप्ति हेतु सदस्यों से अनुरोध है कि वे रिकॉर्ड तिथि से पूर्व अपने बैंक विवरण (खाता संख्या एवं आईएफएससी) तथा डाक पता नीचे बताए अनुसार अद्यतन करा लें:
    - डीमैटेरियलाइज्ड (इलेक्ट्रॉनिक) रूप में धारित शेयरों के लिए - सदस्य अपने केवाईसी दस्तावेज, निरस्त चेक की प्रति तथा डीपी-आईडी एवं क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) को प्रस्तुत करें।
    - भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए - सदस्यों से अनुरोध है कि वे पैन (पीएएन), केवाईसी (केवाईसी) विवरण तथा उनसे संबंधित किसी भी परिवर्तन/अद्यतन के पंजीकरण हेतु फॉर्म आईएसआर-1 के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता (आरटीए), मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें: कार्वी सेलेनियम, टॉवर-बी, प्लॉट संख्या 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500032, दूरभाष: (040) 6716 1562, फैक्स: (040) 2300 1153, ई-मेल: einward.ris@kfintech.com
11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पैन, केवाईसी विवरण एवं नामांकन संबंधी जानकारी आरटीए (भौतिक शेयरों के मामले में) अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीमैट शेयरों के मामले में) के पास अद्यतन रखें।

यह सार्वजनिक सूचना निगम की वेबसाइट (www.gicre.in) पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि पूर्व-प्रेषण समाचार पत्र विज्ञापन (दिनांक 31.08.2026) में उल्लिखित वार्षिक आम बैठक की तारीख **21 सितंबर 2026 को 22 सितंबर 2026** के रूप में पढ़ा जाएगा। अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।

कृते भारतीय साधारण बीमा निगम
एसडी/–
दिनांकः 31.08.2026 — **सतीश कुमार**
स्थानः मुंबई — **(कंपनी सचिव)**

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167–169, द्वितीय तल,अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015, और **शाखा कार्यालयः** कार्यालय संख्या 311 एवं 312, आईटीएल नॉर्थ–एक्स टॉवर, ए–9 बिल्डिंग, एनएसपी, पीतमपुरा–110034 **संपर्क विवरणः (पवन पांडे) जेडआरएम : 8010562716 । (श्री अरुण मोहन शर्मा) एएलएमः 8800898999 । (श्री रविशंकर) आरआरएमः** 9999735552 ईमेलः **Auction@hindjahousingfinance.com**

HINDUJA HOUSING FINANCE

निजी समझौते के माध्यम से बिक्री की सूचना

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(8) और 9(1) के परंतुक के साथ पठित एचएचएफएल को गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री।

अधोहस्ताक्षरी, एचएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के रूप में, सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित आरक्षित संपत्ति निजी संधि/सार्वजनिक ई–नीलामी के माध्यम से एचएचएफएल द्वारा स्वीकार्य शर्तों पर, ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है वैसा ही'' और ''जो कुछ भी उपलब्ध है'' के आधार पर, अपने बकाया की वसूली के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध है। **मानक नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैंः** 1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री "जहां है जैसा है" और "जो है जैसा है जैसा है" के आधार पर होगी। 2. खरीदार को आवेदन और केवाईसी दस्तावेजों के साथ, प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा। स्वीकृति मिलने पर आवश्यक 25% जमा राशि में से इसे समायोजित कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 3. एचएचएफएल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर, क्रेता को अगले कार्य दिवस तक बिक्री मूल्य का 25% (प्रारंभिक 10% सहित) जमा करना होगा। 4. बिक्री मूल्य का शेष 75% बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। 5. निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि का भुगतान न करने पर, प्रारंभिक 10% सहित सभी जमा राशि स्वतः जब्त हो जाएगी और संपत्ति को बिना किसी पूर्व सूचना के पुनः बेचा जा सकता है। 6. यदि एचएचएफएल प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, तो प्रारंभिक 10% जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 7. 50,00,000/– रुपये से अधिक की बोलियों के लिए, सफल खरीदार को आयकर अधिनियम की धारा 194–।ए के तहत 1% टीडीएस जमा करना होगा। 8. संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य के भारों सहित बेची जाती है, चाहे वे एको ज्ञात हों या अज्ञात एचएचएफएल किसी भी तृतीय–पक्ष के दावों, अधिकारों या वैधानिक देय राशियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 9. खरीदार को संपत्ति के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से उचित जांच करनी होगी। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 10. एचएचएफएल बिना कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने या नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 11. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से या सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी के माध्यम से ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड'' से ही आयोजित की जाएगी। 12. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधी किसी भी समस्या के लिए सुरक्षित ऋणदाता/सेवा प्रदाता जिम्मेदार नहीं होंगे। 13. ई–नीलामी के बारे में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा–122003 में स्थित है (संपर्क व्यक्तिः श्री मिथलेश, मोबाइल नंबरः 7080804466, ईमेलः Mithalesh.kumar@c1india.conn, ईमेलः tn@c1india.com, Prabhakaran.Malaichamy@c1india.com और सहायता (हेल्पलाइन) मोबाइल नंबरः +91–7291981124/25/26, सहायता ईमेलः Support@bankeauction.com से संपर्क कर सकते हैं। 14. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को https/www.bankeauctions.com पर अपना नाम समय से पहले पंजीकृत करना होगा और उन्हें उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त होते ही उसे तुरंत बदल दें। 15. ई–नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताओं को वापसी योग्य बयाना राशि (ईएमडी) यानी आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करना होगा। यह राशि इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा ''हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगी। 16. इच्छुक पक्ष विवरण के लिए अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और 15.09.2026 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले प्रस्ताव, ईएमडी और केवाईसी दस्तावेजों को जमा कर सकते हैं। 17. सफल नीलामी क्रेता बंधक संपत्ति से संबंधित सभी स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कर और अन्य वैधानिक खर्चों का वहन करेगा। 18. नवीनतम न्यायिक आदेशों के अनुसार, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं का मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। 19. बिक्री का संचालन सरफेसी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

अनुसूची

ऋण संख्याः (ऋण संख्या DL/DEL/DLHI/A000004423) उधारकर्ताओं के नामः 1. 1. श्री तुषार अहिरवार 2. श्रीमती मंजू	बकाया राशि : रु. 33,99,843/– (रुपये तैंतीस लाख निनानबे हजार आठ सौ तितालीस मात्र) 31–08–2026 तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 15.09.2026 तक 1700 बजे. ई–नीलामी की तिथि/समयः 16.09.2026, 1100 बजे से –1300 बजे. बोली वृद्धि राशिः रु. 10,000/–	आरक्षित मूल्य : रु. 16,00,000/– (रुपये सोलह लाख मात्र) ईएमडी : रु. 1,60,000/– (केवल एक लाख साठ हजार रुपये)

संपत्ति का विवरण (सुरक्षित परिसंपत्ति): संपत्ति का विवरण (सुरक्षित परिसंपत्ति): फ्रीहोल्ड फ्लैट नंबर 588, भूतल पर, डीडीए जनता फ्लैट, क्षेत्रफल 26 वर्ग मीटर, ब्लॉक–बीएच, शालीमार बाग, आवासीय योजना, दिल्ली–110088 में स्थित।

दिनांकः 01/09/2026 स्थानः दिल्ली — **अधिकृत अधिकारी-हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**